

निबंधित

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषक:- पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,
अवर निबंधक,
अवर निबंधन कार्यालय,
बक्सर।

पटना, दिनांक:.....

विषय:- सर्वश्री माँ विन्ध्यवासिनी ईट उद्योग, जलवासी, पो०-इटादी, बक्सर को लीज डीड निबंधन हेतु स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में छूट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उद्योग विभाग के संकल्प सं० 691 दिनांक 09.06.11 द्वारा निर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 की कंडिका-1(क) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग विभाग के पत्रांक 2516 दिनांक 22.07.11 एवं निबंधन विभाग के आदेश संख्या 3216/3217 दिनांक 24.10.11 के आलोक में उपलब्ध कराए गए कागजातों के आधार पर सम्यक विचारोपरांत सर्वश्री माँ विन्ध्यवासिनी ईट उद्योग, जलवासी, पो०-इटादी, बक्सर को Fly Ash Bricks ईकाई स्थापना हेतु खाता सं०-41, खेसरा सं०-183, मौजा-जलवासी, थाना सं०-427, क्षेत्रफल-01 एकड़ (43,560 वर्गफीट) के लीज डीड निबंधन पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क से शत प्रतिशत छूट अनुमान्य की जाती है। ईकाई के निवेश प्रस्ताव पर जिला स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

कृपया इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई करने के उपरांत स्टाम्प ड्यूटी/ निबंधन शुल्क में छूट की राशि सहित पूर्ण विवरणी के साथ एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,
ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:.....

पटना, दिनांक:.....

प्रतिलिपि:- महानिरीक्षक, निबंधन, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, बक्सर/ जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।


ह०/-
उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:..... 822

पटना, दिनांक:..... 25.02.16

प्रतिलिपि:- सर्वश्री माँ विन्ध्यवासिनी ईट उद्योग, जलवासी, पो०-इटादी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।